# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 72/2016/टीए

1. घीसुलाल पिता हेमला डांगी
2. रतनलाल पिता हेमला डांगी
3. सुखी पुत्री हेमला डांगी
4. सोहनी पुत्री हेमला डांगी

सभी निवासी ठीकरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. बोतलाल पिता किशनलाल डांगी
2. नन्दा पिता किशनलाल डांगी

दोनो निवासी ठीकरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

3. राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 19.07.2016 प्रकरण सं. 378/2016

उपस्थित – 1. श्री मोहनलाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री राकेशपुरी गोस्वामी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1 व 2

निर्णय दिनांक– 25.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम घटियावली पटवार हल्का घटियाली मे स्थित है जिसके खाता संख्या 445 व आराजी संख्या 1269, 1270, 1271, 1272 किता 4 रकबा 2.39 है0 है। उक्त आराजी मे से आराजी नम्बर 1269 पर कुंआ है जिस पर आने जाने हेतु उत्तर दिशा मे विपक्षीगण की आराजीयात से होकर रास्ता आता है जिसके आराजी संख्या 3317/1268 है। प्रार्थीगण के पास उक्त कुंए मे आने जाने का कोई मार्ग नही होने से प्रार्थीगण को आने जाने मे कठिनाईयो का सामना करना पडता है तथा विपक्षीगण भी उसके खातेदारी की आराजीयात से आने जाने मे व्यवधान पैदा करते है। विपक्षीगण ने वर्तमान मे प्रार्थीगण की आराजीयात पर स्थित कुंए पर आने जाने का रास्ता रोक दिया है जिससे प्रार्थीगण को आराजीयात पर आने मे काफी

परेशानी हो रही है। उक्त रास्ते को बन्द करने का विपक्षीगण को कोई अधिकार नही है जिससे प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने का कोई वैकल्पिक मार्ग नही होने से विपक्षीगण की आराजीयात से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही दिन मे सम्पूर्ण कार्यवाही का निर्णय पारित किया। अपीलान्टस/विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये जिसके तामील भी झुठी कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने मरे हुए व्यक्ति (श्यामा पत्नि हेमला) की मृत्यु दिनांक 22/09/2014 को हो चुकी थी, फिर भी उसकी फर्जी तामील कराई गई है, क्योकि श्यामा जिन्दी ही नही है फिर भी उसे जिन्दा बताकर तामील कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या 5 (श्यामा पत्नि हेमला डांगी) के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है, जबकि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व करीब 2 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो चुकी हैं व मरे हुए के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है जो विधि के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्टस को विशेष हर्जा दिलाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा 3 मे एक विशेष उल्लेख के साथ रकबा मांगा गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर न तो पीठासीन अधिकारी की मार्किग है तथा न ही किसी दिनांक का उल्लेख है। प्रार्थना पत्र के पैरा 4 मे पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 18/06/2016 को आधार बनाया गया है। पीठासीन अधिकारी ने कब व कैसे रिपोर्ट तलब की रिकार्ड पर उपलब्ध नही है। पटवारी की रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा दिनांक 30/06/2016 को अग्रेषित की गई है। दिनांक 30/06/2016 के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी की पत्रावली पर पहली आदेशिका दिनांक 13/07/2016 को लिखी गई है। तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट शिविर स्थल अरनिया पंथ से की गई है। अप्रार्थी संख्या 5 श्यामा पत्नि हेमला की दिनांक 22/09/2014 को मृत्यु हो चुकी है उस पर भी स्वंय पर तामील दिखाई गई है। इस प्रकरण को लेकर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 182/2016 पुलिस थाना शम्भुपुरा मे दर्ज हुई है जिसमे मूल तामील पुलिस द्वारा अपने कब्जे मे ली हुई है जो FSL मे जांच हेतु गई हुई है। खसरा नम्बर 3317/2016 का क्षैत्रफल 1.22 है0 नही होकर 0.22 है0 है। कही भी नक्शे मे यह खुलासा नही हो रहा है कि रास्ता किस प्रकार दिया गया

है। तामील मे रतनलाल की पत्नि का अंगूठा लगा है जबकि वह पढी लिखी है व दसखत करती है। इस प्रकार पूरे प्रकरण मे पारदर्शिता एवं विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाये बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट पर निर्णय पारित नही हो सकता है जिसके कारण इस रिपोर्ट को आधार मानकर प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। राजस्व शिविरो का मुख्य उददे्श्य मौके पर न्याय सुलभ कराना है। रास्ते के लिये भुमि डीएलसी दर की दुगुनी दर पर स्वीकृत किया गया है। रिपोर्ट पर पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी और अधिवक्ता द्वारा विविधवत प्रक्रिया अपनाकर निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली मे कराई गई तामील पुलिस थाने मे अनुसंधान अधीन है। रिपोर्ट के अनुसार कुंए पर जाने का अन्य कोई रास्ता/विकल्प उपलब्ध नही है। नदी के पास–पास जाने का कोई रास्ता हो, अस्वीकार है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय पारित किया गया है। जिसके कारण अपील अपीलार्थी खारीज होने योग्य हैं।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य निर्विवादित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 378/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 19/07/2016 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण मे पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़